कार्यालय नगर पालिका परिषद, देवरिया।

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

12वॉं वित्त आयोग से वित्तीय वर्ष 2009–10 प्रथम एवं द्वितीय किस्त से प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यो की आगणन स्वीकृति एवं अपर जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0 65(1)/एल0बी0सी0/10 दिनांक 24.02.10 के क्रम में स्वीकृत निर्माण कार्यो की निविदा फार्म 11/03/2010 को प्रातः 10 बजें से 02.30 बजें तक नगर पालिका कार्यालय व कलेक्ट्रेट देवरिया में विक्री की जायेगी तथा 10 बजें से 03 बजें सायं तक दिनांक. 12/03/2010 को टेन्डर बाक्स में निविदा कलेक्ट्रेट कार्यालय में डाली जायेगी तथा उसी दिन उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष निविदा सायं 4 बजें खोली जायेगी।

एतद् द्वारा नगर पालिका, देवरिया के वर्ष 2009–10 के पंजीकृत एवं नवीनीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तिथि की निविदा क्रय कर निविदा बाक्स में निविदा निर्धारित तिथि एवं समय के अन्दर निविदा बाक्स में डाल सकते है। क्र0सं0 2 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित है। निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में एन. एस.सी./के.बी.पी./सी.डी.आर. /एफ.डी.आर. आदि जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के पद नाम बन्धक कर निविदा फार्म पर उल्लेख कर मूल प्रति संलग्न करना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य के अलग –अलग जमानत संलग्न करना आवश्यक है। ठेकेदार का निविदा के साथ सम्बन्धित विभाग में पंजीयन एवं नवीनीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। उक्त विज्ञापन को देवरिया के बेवसाइट WWW.deoria.nic.in पर देखे जा सकते है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	आरक्षण श्रेणी	आगणन लाख में	जमानत	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि।
1	2	3	4	5	6	7
1	रामचन्द्र शुक्ल भुजौली वार्ड नं0 13 में पार्क नं0 5 श्री शिवप्रसाद सोनकर के मकान के पास पार्क सौन्दरीयकरण कार्य।	अनूसूचित जाति/जनजाति	7.55	75500.00	750.00	एक माह
2	वार्ड नं0 5 दीवानी कचहरी से श्रीमती दुर्गावती तक तथा व्यास मुनि से दीवाकर तक नाली निर्माण कार्य।	अनारक्षित	22.05	44100.00	2000.00	एक माह

नियम एवं शर्ते :–

1– रेट परसेन्टेज बेसिस पर ही भरना आवश्यक है।

2– एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

3– ऐसे ठेकेदार जिन्होने त्रुटिपूर्ण कार्य पूर्व मं किया हो, की निविदा मान्य नहीं होगी।

4– निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि आदेष प्राप्ति के सात दिन पूर्ण होने के उपरान्त अनुबन्ध प्रस्तुत करता है तो प्रत्येक दिन एक सौ रूपये की दर से जुर्माना फार्म 5 पर जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा।

5– आदेश प्राप्ति के 15 दिन बाद अनुबन्ध सम्पादन में बिलम्ब होने की दशा में जमानत धनराशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

6– निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यपूर्ण करना आवश्यक है। अन्यथा विलम्ब की दशा में जमानत धनराशि जब्त मानते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी

7– ऐसे ठेकेदार जो वर्ष 09–10 हेतु अपने ठेकेदारी कार्य का पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराये है, वे निविदा में भाग नहीं ले सकते है।

8– विभाग में किसी ठेकेदार की जमानत धनराशि पूर्व से जमा/पड़ी हो तो उसे ठेकेदार निविदा डालने के पूर्व वापस लेकर निविदा के साथ संलग्न करें।

9– निविदा के साथ जमानत धनराशि की छाया प्रति कतई मान्य नहीं होगी।

10– निधारित तिथि पर कार्य पूर्ण न होने पर 0.25 प्रतिशत की दर से बिल से प्रति दिन के हिसाब से कटौती कर ली जायेगी।

11– ठेकेदार निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल को भलि–भॉति देख ले, ठेकेदार को कार्य स्थल पर 3X2 फीट साइज का साइन बोर्ड लगाना अति आवश्यक होगा। जिसपर कार्य का नाम, लागत व निधि का उल्लेख किया जायेगा, तथा प्रस्तावित कार्य स्थल का तीन चरण (कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, द्वितीय कार्य के माध्य में व तृतीय कार्य पूर्ण होने के उपरान्त) में फोटो खिचवा कर कागज पर चस्पा कर विभाग में जमा करना आवश्यक होगा।

12– निर्माण कार्य पूर्ण होने के छः माह तक निर्माण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर कार्य के मद में जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13– ठेकेदार को दिये गये समय के अलावा कोई भी समयावृद्धि नही की जायेगी। बल्कि उपरोक्तानुसार कराये गये कार्य की मात्र भुगतान किया जायेगा।

14– निर्माण कार्य के समय ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता/मानक में त्रुटि के सम्बन्ध में किसी भी नागरिको की शिकायत पर जॉच कराने के उपरान्त कमी पायी जाती है, तो बिल से कटौती कर ली जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
देवरिया।

पत्रांक 2406/नि0वि0–09–10/देवरिया दिनांक : 05.03.2010